भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2370

सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)

कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ

2370. श्री अमरा राम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है, साथ ही देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान उनमें से किसी सरकारी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले श्रमिकों की वर्ष और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में बेरोजगारी दर और सरकार द्वारा रोजगार सृजन के लिए उठाए गए नए कदमों का वर्ष और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का आधार से जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया था। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य गिग एवं प्लेटफॉर्म कर्मियों सहित असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करते हुए पंजीकृत करना है।

ई-श्रम पोर्टल पर पहले ही 31.78 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों का पंजीकृत किया जा चुका है।

जारी...2/-

पिछले पाँच वर्षों के दौरान ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार, ब्यौरा संलग्नक में दिया गया है।

असंगठित कामगारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने हेतु ई-श्रम को एक वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में विकसित करने संबंधी बजट घोषणा, वर्ष 2024-25 के विज़न को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया। ई-श्रम -"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात् ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है और यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच बनाने और ई-श्रम के माध्यम से उनके द्वारा अब तक उठाए गए लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (15) योजनाओं को ई-श्रम के साथ पहले ही एकीकृत/मैप किया जा चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएम जी), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई) आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, ई-श्रम का जुड़ाव रोजगार के अवसरों के लिए नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) से, कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) से, पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) से और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के कन्वर्जेंस पोर्टल से है, जिससे ई-श्रम कार्डधारक अतिरिक्त सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत नामांकित असंगठित कामगारों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्नक-II में दिया गया है।

रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2025 के लिए देश में अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 4.2%, 4.1%, 3.2%, 3.2% और 3.1% है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्यक्षेत-वार ब्यौरा संलग्नक-III पर है।

जारी...3/-

इसके अलावा, युवाओं के लिए रोजगार क्षमता में सुधार के साथ-साथ रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम लागू कर रही है।

सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा "https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes" पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) को कार्यान्वित कर रही है ताकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के माध्यम से कारीगर प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों/स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों के विस्तृत नेटवर्क के जरिए कौशल, पुनर्कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हें उद्योग से संबंधित कौशल से लैस करना है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जो 10 नई / नवोन्मेषी तकनीकों में रोजगार क्षमता प्रदान करने के लिए आईटी कर्मचारियों के पुनर्कौशल / कौशल संवर्धन के लिए है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है।

सरकार रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने, सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का कार्यान्वयन कर रही है, जिसे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना हेतु आवंटन 99,446 करोड़ रुपए है और इसका लक्ष्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करने के लिए प्रोत्साहन देना है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो करियर से संबंधित सेवाओं के लिए एक वन-स्टाप-साल्यूशन है जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों में रोजगारों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मैचिंग, कैरियर काउंसलिंग, पेशेवर मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि शामिल है।

*** *****

संलग्नक- I

"कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ" के संबंध में श्री अमरा राम द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2370 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

दिनांक 23.07.2026 की स्थिति के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा।

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2021	2022	2023	2024	2025	2026
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17,391	10,915	2,187	1,870	2,731	983
आंध्र प्रदेश	25,41,484	53,35,497	1,70,080	92,339	6,51,988	93,060
अरुणाचल प्रदेश	44,478	95,339	5,297	54,572	13,354	8,044
असम	48,95,168	19,98,066	2,22,197	4,67,469	2,13,728	91,090
बिहार	1,59,27,222	1,26,34,072	3,99,552	6,80,861	25,31,837	3,11,802
चंडीगढ़	1,03,215	70,934	3,440	7,704	4,908	2,308
छत्तीसगढ	54,88,429	27,53,384	1,40,088	1,51,321	1,01,154	35,674
दिल्ली	17,10,011	15,39,731	80,104	1,52,479	1,29,206	65,766
गोवा	9,573	41,994	14,488	9,845	11,814	3,196
गुजरात	33,30,600	57,75,366	23,95,867	3,94,434	4,03,188	3,38,949
हरियाणा	26,67,457	25,68,827	46,427	68,486	65,601	28,889
हिमाचल प्रदेश	8,03,295	11,18,855	28,811	32,481	30,297	19,239
जम्मू और कश्मीर	18,24,232	15,30,217	73,181	1,22,187	68,492	47,476
झारखंड	65,83,143	25,35,639	1,59,964	3,28,032	1,96,861	68,844
कर्नाटक	23,33,675	49,79,740	5,63,743	25,81,303	5,44,886	1,35,006
केरल	47,78,836	11,23,020	37,444	69,914	90,560	51,511
लद्दाख	5,020	23,372	3,334	1,735	1,809	1,222
लक्षद्वीप	138	2,249	102	302	57	29
मध्य प्रदेश	46,27,108	1,22,08,365	5,74,657	10,82,792	6,93,991	3,56,832
महाराष्ट्र	37,09,020	96,81,240	6,68,835	33,13,358	9,08,116	4,13,016
मणिपुर	3,37,487	66,497	24,827	23,763	17,416	6,457
मेघालय	1,19,819	1,63,797	25,860	16,797	33,225	17,718
मिजोरम	8,293	49,771	5,070	1,829	7,770	1,085
नागालैंड	1,83,912	34,171	2,536	10,861	10,748	6,536
ओडिशा	1,27,11,269	6,09,694	48,040	1,79,814	1,26,109	95,662
पुदुचेरी	1,04,332	71,742	7,081	6,408	8,187	2,609
पंजाब	46,90,433	8,01,022	83,653	1,97,787	1,42,507	84,569
राजस्थान	37,91,132	89,69,937	6,33,145	9,43,021	8,34,825	3,59,450
सिक्किम	4,716	18,354	13,615	5,445	8,302	1,109
तमिलनाडु	45,41,527	37,71,726	2,39,418	3,69,525	6,14,444	3,11,510
तेलंगाना	18,82,544	21,45,385	2,73,319	1,55,062	1,68,166	87,495
दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	38,064	34,369	725	1,014	1,500	845

त्रिपुरा	7,02,762	1,40,522	20,030	22,452	15,205	7,005
उत्तर प्रदेश	6,29,19,214	2,00,23,388	2,75,547	5,13,439	4,75,909	4,27,876
उत्तराखंड	9,17,789	20,56,042	32,495	52,093	46,136	21,313
पश्चिम बंगाल	2,34,20,803	23,18,144	4,34,533	2,34,515	1,34,124	1,78,055

संलग्नक - II

"कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ" के संबंध में श्री अमरा राम द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2370 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

दिनांक 23.07.2026 की स्थिति के अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत तथा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत नामांकित असंगठित कामगारों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा।

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	ओएनओआरसी	पीएम-स्वनिधि	वीबी-जी आरएएम-जी	पीएमएवाई-जी	पीएमजेजेबीवाई	पीएमकिसान	पीएमजेवाई	पीएमएसबीवाई	पीएमएमएसवाई	पीएमए-यू	आईजीएनडब्ल्यूपीएस	पीएमएमवीवाई	आईजीएनडीपीएस
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9,637	181	2,207	369	4,857	1,318	25,927	11,877	13	16	5	26	1
आंध्र प्रदेश	55,33,454	1,38,001	34,93,178	62,291	11,31,790	10,54,614	75,15,651	31,19,058	1,210	4,82,349	1,30,773	49,094	5,140
अरुणाचल प्रदेश	1,23,912	2,566	1,00,469	8,105	16,142	46,724	48,204	62,482	18	2,268	1,378	85	343
असम	71,60,510	25,083	24,44,823	2,82,261	3,77,500	10,37,398	41,16,792	16,48,088	2,726	28,046	29,966	1,48,390	8,871
बिहार	2,71,89,026	86,957	51,12,058	19,32,859	21,33,505	38,36,227	2,43,52,163	89,65,785	550	45,928	83,629	4,92,175	20,920
चंडीगढ़	1,26,270	3,419	2,112	825	15,274	7,868	1,07,432	49,596	0	76	322	3,265	27
छत्तीसगढ	65,37,044	44,605	38,03,158	5,08,816	7,74,091	12,10,876	78,43,886	28,90,697	178	77,828	75,034	1,41,020	12,732
दिल्ली	23,09,946	93,386	28,739	16,506	2,04,756	1,18,387	4,27,231	8,11,829	7	3,406	537	57,784	1,158
गोवा	47,838	329	2,201	135	8,595	2,018	13,000	23,873	27	9	603	1,172	48
गुजरात	92,15,703	2,31,177	13,49,882	2,53,453	8,56,367	17,51,846	96,48,546	29,08,221	95	27,111	1,00,796	1,23,001	7,695

हरियाणा	44,63,330	78,096	5,36,760	16,841	6,04,378	4,27,103	43,24,364	14,65,498	298	8,865	23,583	38,295	7,163
हिमाचल प्रदेश	10,40,389	2,761	7,54,978	9,982	1,47,365	3,55,097	6,41,703	4,34,897	75	4,098	1,585	594	56
जम्मू और कश्मीर	28,50,010	11,218	9,56,054	1,36,479	26,084	4,72,644	34,03,106	1,24,812	414	17,139	2,471	56,124	953
झारखंड	83,64,872	44,899	23,21,870	5,68,795	11,01,542	12,64,376	52,46,772	37,64,488	1,862	41,513	49,418	1,01,245	9,053
कर्नाटक	78,16,824	1,54,664	30,16,890	56,090	7,39,979	9,76,807	39,97,524	22,75,769	191	22,830	1,09,576	1,99,482	10,583
केरल	36,88,160	49,584	12,35,035	10,107	2,15,310	10,85,138	22,80,962	11,46,236	458	43,684	87,302	58,402	3,918
लद्दाख	26,863	133	13,990	492	1,002	8,088	31,619	3,896	24	100	25	569	7
लक्षद्वीप	1,492	3	70	10	178	308	1,848	558	1	1	2	28	8
मध्य प्रदेश	1,59,21,310	4,75,385	42,18,718	2,95,444	14,96,801	29,22,731	1,27,37,329	65,17,482	605	1,87,270	9,413	4,91,785	2,926
महाराष्ट्र	1,42,18,478	3,21,809	26,86,914	2,22,553	15,03,749	22,66,308	1,08,76,584	50,37,997	757	35,547	30,799	2,68,128	2,463
मणिपुर	4,28,085	4,853	1,99,421	29,185	18,283	29,667	1,94,742	80,791	216	8,212	2,078	14,554	72
मेघालय	2,21,440	19	2,17,885	46,817	15,855	77,697	1,96,021	70,826	428	771	1,799	4,262	245
मिजोरम	52,917	596	27,168	5,067	2,029	21,253	49,331	8,917	5	2,503	102	365	29
नागालैंड	2,35,984	1,604	78,667	13,525	13,781	90,309	1,98,419	73,308	640	7,624	139	3,747	20
ओडिशा	1,22,99,636	35,639	28,06,039	11,41,874	15,79,291	19,68,381	27,145	55,50,595	416	76,710	1,59,372	1,873	34,071
पुदुचेरी	1,60,264	1,593	30,452	91	11,357	2,982	1,19,336	33,336	7,001	5,296	517	1,288	184

पंजाब	45,80,496	76,723	7,04,313	17,001	4,82,186	2,38,476	30,49,307	15,60,895	46	14,343	2,669	1,08,918	1,029
राजस्थान	1,07,58,048	90,434	48,45,545	4,48,658	13,17,904	22,79,018	65,47,153	47,74,400	4	50,374	48,275	4,65,483	5,760
सिक्किम	38,752	273	15,867	204	5,360	5,256	11,207	15,400	32	4	3	277	1
तमिलनाडु	62,38,949	88,433	35,35,873	2,08,087	6,14,976	5,49,922	45,83,823	19,45,936	1,660	45,398	57,449	48,815	7,394
तेलंगाना	31,99,697	1,41,068	16,93,346	694	4,35,455	7,16,905	22,47,457	12,65,795	56	830	23,123	839	5,466
दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	54,882	707	1,582	1,078	7,014	4,375	51,803	17,028	3	149	56	123	10
त्रिपुरा	6,61,436	2,832	4,93,643	1,55,779	89,989	1,11,605	8,22,063	2,26,108	1,125	20,600	1,431	65	300
उत्तर प्रदेश	6,81,15,903	9,55,823	92,78,282	17,68,564	44,08,064	1,20,64,812	,24,05,418	,87,48,694	1,623	10,90,710	44,412	2,45,056	4,584
उत्तराखंड	21,37,313	15,218	6,12,995	37,473	1,98,854	3,57,022	27,65,309	8,77,909	187	14,557	3,494	58,516	372
पश्चिम बंगाल	1,89,83,221	88,168	54,42,994	15,85,308	19,92,421	22,73,673	96,840	88,58,301	1,025	1,29,751	93,820	22,386	14,618

संलग्नक- III

"कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ" के संबंध में श्री अमरा राम द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2370 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा।

		बेरोजगारी दर (यूआर % में)				
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2025**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.1	7.8	9.7	11.8	10
2	आंध्र प्रदेश	4.1	4.2	4.1	4.1	4.2
3	अरुणाचल प्रदेश	5.7	7.7	4.8	6.1	6.6
4	असम	4.1	3.8	1.7	3.9	3.7
5	बिहार	4.7	6	3.9	3	3.8
6	चंडीगढ़	7.5	6.3	4	7.1	5.7
7	छत्तीसगढ	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3
8	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	4.2	5.2	2.5	2.3	1.6
9	दिल्ली	6.3	5.3	1.9	2.1	5.9
10	गोवा	10.5	12	9.7	8.5	8.3
11	गुजरात	2.2	2	1.7	1.1	0.9
12	हरियाणा	6.3	9	6.1	3.4	4.5
13	हिमाचल प्रदेश	3.3	4	4.4	5.4	4.5
14	जम्मू एवं कश्मीर	5.9	5.2	4.4	6.1	4.9
15	झारखंड	3.1	2	1.7	1.3	2.7
16	कर्नाटक	2.7	3.2	2.4	2.7	2.3
17	केरल	10.1	9.6	7	7.2	4.3
18	लद्दाख	2.9	3.3	6.1	5.1	4
19	लक्षद्वीप	13.4	17.2	11.1	11.9	6.9

20	मध्य प्रदेश	1.9	2.1	1.6	0.9	1.5
21	महाराष्ट्र	3.7	3.5	3.1	3.3	2.4
22	मणिपुर	5.6	9	4.7	6.1	5.2
23	मेघालय	1.7	2.6	6	6.2	4.7
24	मिजोरम	3.5	5.4	2.2	2.3	2.4
25	नागालैंड	19.3	9.1	4.3	7.1	6.7
26	ओडिशा	5.4	6	3.9	3.1	2.9
27	पुदुचेरी	6.7	5.8	5.6	4.6	5.4
28	पंजाब	6.2	6.4	6.1	5.5	5.3
29	राजस्थान	4.8	4.7	4.4	4.2	4.4
30	सिक्किम	1.1	1.6	2.2	2.3	3.2
31	तमिलनाडु	5.2	4.8	4.3	3.5	3.4
32	तेलंगाना	4.9	4.2	4.4	4.8	5
33	त्रिपुरा	3.2	3.3	1.4	1.7	2.7
34	उत्तर प्रदेश	4.2	2.9	2.4	3	2.7
35	उत्तराखंड	6.9	7.8	4.5	4.3	5.1
36	पश्चिम बंगाल	3.5	3.5	2.2	2.6	2.8
	अखिल भारत	**4.2**	**4.1**	**3.2**	**3.2**	**3.1**